रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246859
CG-DL-E-30062023-246859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2702]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2023/आषाढ़ 7, 1945
No. 2702]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2023/ASHADHA 7, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून , 2023

का.आ. 2825(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो के परामर्श से, निम्नलिखित योजना विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 है।

   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं-**(1) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

   (क)**"अधिनियम"** से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

   (ख) **"मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसी"** से कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के अधीन सत्यापित क्रिया कलापों को करने के लिए ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त एक एजेंसी अभिप्रेत है;

   (ग) **"कार्बन क्रेडिट"** से एक ऐसा मूल्य अभिप्रेत है जो प्राप्त ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी या हटाने या बचने के लिए सौंपा गया है और एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO_2e) के बराबर है;

   (घ) **"कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र"** का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घक) में है;

   (ङ) **"कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना"** का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घख) में है;

(च) **"आयोग"** से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 36) की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(छ) **"अनुपालन तंत्र"** से इस योजना के अधीन एक तंत्र अभिप्रेतहै जहां बाध्यकारी संस्थाएं केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मानदंडों का पालन करेंगी;

(ज) **"ग्रीनहाउस गैस"** से वायुमंडल के वे गैसीय घटक, प्राकृतिक और मानवजनित दोनों, जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और पुन: उत्सर्जित करते हैं अभिप्रेत है और व्यंजकग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4), नाइट्रस ऑक्साइड (N2O), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC), पर्फ्लोरोकार्बन (PFC), और सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6) शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(झ) **"भारतीय कार्बन बाजार अवसंरचना"** से कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या हटाने या बचने के उद्देश्य से स्थापित एक राष्ट्रीय अवसंरचना अभिप्रेत है;

(ञ)**"मेटा-रजिस्ट्री"** से राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस रजिस्ट्री अभिप्रेत है जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करेगी, अर्थात्:

(i) बाजार आधारित तंत्र और राष्ट्रीय सूची प्रबंधन प्रणाली सहित डेटा प्रबंधन और

(ii) किसी भी बाजार-आधारित तंत्र की किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के साथ संबंध स्थापित करने की सुविधाओं के साथ संव्यवहार;

(ट) **"गैर-बाध्यकारी इकाई"** से रजिस्ट्रीकृत इकाई' जो स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र खरीद सकती हैं अभिप्रेत है;

(ठ) **"बाध्यकारी इकाई"** से 'रजिस्ट्रीकृत इकाई' जो अनुपालन तंत्र के अधीन अधिसूचित हैं अभिप्रेत है;

(ड) **"पावर एक्सचेंज"** से भारत के राजपत्र में तारीख 15 फरवरी 2021 को प्रकाशित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2021 के विनियम 2 के खंड के उप-खंड (कध) के अधीन परिभाषित एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है;

(ढ) **"रजिस्ट्रीकृत इकाई"** का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (थक) में है;

(ण) **"रजिस्ट्री"**से कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के संबंध में इस ढांचे में परिभाषित ऐसे कार्यों को करने के लिए नाम निर्दिष्ट एजेंसी अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 29) और विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियम में हैं।

3. भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति – (1) केंद्रीय सरकार भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन करेगी।

(2) भारतीय कार्बन बाजार का शासन और इसके कामकाज का प्रत्यक्ष निरीक्षण भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति में निहित होगा।

(3) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -

(क) सचिव, विद्युत मंत्रालय - *पदेन* - अध्यक्ष;

(ख) सचिव, - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय *पदेन* सह- अध्यक्ष;

(ग) वित्त मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी – *पदेन* सदस्य;

(घ) नीति आयोग से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी - *पदेन सदस्य*;

(ङ.) विद्युत मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी - *पदेन सदस्य;*

(च) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी - *पदेन सदस्य*;

(छ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी - *पदेन सदस्य;*

(ज) इस्पात मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी - *पदेन सदस्य;*

(झ) कोयला मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी - *पदेन सदस्य;*

(ञ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी - *पदेन सदस्य;*

(ट) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी - *पदेन सदस्य;*

(ठ) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संयुक्त सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च्तर अधिकारी - *पदेन सदस्य;*

(ड) दो सदस्य - केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्बंधित राज्य के पर्यावरण विभाग से प्रमुख सचिव – *पदेन* सदस्य;

(ढ) दो विशेषज्ञ सदस्य - राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा सहयोजित, जिनके पास उत्सर्जन, कार्बन व्यापार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्रों का ज्ञान है - सदस्य;

(ण) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य;

(त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड - सदस्य;

(थ) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन से अनधिक कोई अन्य सदस्य - सदस्य;

(द) महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य- सचिव;

4. राष्ट्रीय संचालन समिति के कार्य: - (1) राष्ट्रीय संचालन समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् - :

(क)भारतीय कार्बन बाजार को संस्थागत बनाने के लिए प्रक्रियाओं के निर्माण और अंतिम रूप देने के लिए ब्यूरो को सिफारिश करना;

(ख) भारतीय कार्बन बाजार के कार्यों के लिए नियमों और विनियमों के निर्माण और अंतिम रूप देने के लिए ब्यूरो को सिफारिश करना;

(ग) बाध्यकारी इकाईयों के लिए विशिष्ट ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन लक्ष्योंको तैयार करने के लिए की ब्यूरो को सिफारिश करना;

(घ) भारत के बाहर कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए ब्यूरो को सिफारिश करना;

(ङ) कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश करना;

(च) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र की क्रेडिट अवधि या नवीकरण या समाप्ति के लिए प्रक्रिया या शर्तों के विकास के लिए ब्यूरो को सिफारिश करना;

(छ) भारतीय कार्बन बाजार के कार्यों का पर्यवेक्षण करना;

(ज) भारतीय कार्बन बाजार के संबंध में आवश्यक किसी भी समिति या कार्यदल का गठन करने की ब्यूरो को सिफारिश करना;

(झ) केंद्रीय सरकार द्वारा उसको सौंपे गए अन्य कार्य;

(2) अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष की तिमाही में कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा।

5. प्रशासक के रूप में ब्यूरो और उसके कार्य - (1) ब्यूरो भारतीय कार्बन बाजार का प्रशासक होगा।

(2) प्रशासक के रूप में, ब्यूरो निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्: -

(क) क्षेत्रों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता और विद्युत मंत्रालय को भारतीय कार्बन बाजार में शामिल करने की सिफारिश करना;

(ख) अनुपालन तंत्र के अधीन संस्थाओं के लिए प्रक्षेपवक्र और लक्ष्य विकसित करना;

(ग) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिश और तत्पश्चात केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के आधार पर कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करना;

(घ) कार्बन क्रेडिट के लिए बाजार स्थिरता तंत्र विकसित करना;

(ड़) मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन अभिकरण के प्रत्यायन और कृत्यों के लिए प्रक्रिया विकसित करना;

(च) मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन अभिकरण के लिए अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार अभिकरणों को मान्यता देना;

(छ) इस योजना के कार्यान्वियन के लिए लागत और व्यय को पूरा करने के उद्देश्यों से केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से रजिस्ट्रीकृत इकाईयों द्वारा संदेय फीस और प्रभार को अवधारित करना;

(ज) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की क्रेडिट अवधि या नवीनीकरण या समाप्ति के लिए प्रक्रिया या शर्तों को विकसित करना;

(झ) भारतीय कार्बन बाजार के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए डेटा प्रेषण प्रारूप, प्ररूप विकसित करना;

(ञ) हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों संचालित करना;

(ट) भारतीय कार्बन बाजार के लिए अपेक्षित उपयोगकर्ता मार्गदर्शन मंच सहित सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को विकसित करना और अनुरक्षण रखना;

(ठ) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित डेटाबेस बनाए रखना;

(ड) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार किसी समिति या कार्य समूह का गठन करना;

(ण) केंद्रीय सरकार द्वारा उसको सौपें गये अन्य कृत्य;

6. रजिस्ट्री और उसके कृत्य- (1) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री होगी।

(2) रजिस्ट्री उस रीति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए, के अनुसार निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी: -

(क) समय-समय पर ब्यूरो द्वारा जारी निदेशों का पालन करना;

(ख) बाध्यकारी या गैर-बाध्यकारी इकाईयों का रजिस्ट्रीकरण करना;

(ग) सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित डेटाबेस बनाए रखना;

(घ) सभी प्रकार के संव्यहारों के अभिलेख रखना;

(ड़) पावर एक्सचेंज और ब्यूरो के साथ संव्यहारों के अभिलेख साझा करना;

(च) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पटल के विकास में सहायता करना;

(छ) भारत के लिए मेटा-रजिस्ट्री के रूप में कार्य करना;

(ज) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रियों के साथ संबंध स्थापित करना;

(झ) ब्यूरो द्वारा उसको सौपें गये कोई अन्य कृत्य ।

7. भारतीय कार्बन बाजार के अधीन व्यापारिक क्रिया कलापों के लिए नियामक के रूप में आयोग- (1) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग भारतीय कार्बन बाजार के अधीन व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए नियामक होगा।

(2) भारतीय कार्बन बाजार के नियामक के रूप में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्: -

(क) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार से संबंधित मामलों को विनियमित करना;

(ख) विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों के हितों की रक्षा करना;

(ग) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र व्यापार की आवृत्ति को विनियमित करना; और

(घ) कपट या अविश्वास को रोकने के लिए बाजार की निगरानी का उपबंध करना और आवश्यक निवारक और सुधारात्मक कार्रवाई करना।

8. तकनीकी समिति और उसके कृत्य: - (1) ब्यूरो इस योजना के प्रयोजनों के लिए अनुपालन तंत्र के अधीन यथा अपेक्षित विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक या अधिक तकनीकी समितियों का गठन करेगा।

(2) प्रत्येक तकनीकी समिति की अध्यक्षता एक सदस्य द्वारा की जाएगी जो एक विशेषज्ञ होगा और उसके पास इस क्षेत्र के संबंध में वह पात्रता और अनुभव होगा जो ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया जाए।

(3) प्रत्येक तकनीकी समिति में ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनकी ब्यूरो द्वारा अपेक्षा की जाए।

(4) प्रत्येक तकनीकी समिति इस योजना के प्रयोजनों के लिए कृत्यों का निर्वाह करेगी।

(5) तकनीकी समिति उसे सौंपे गए मामलों के संबंध में ब्यूरो को अपनी सिफारिशें देगी।

9. प्रत्यायित कार्बन सत्यापन अभिकरण- (1) ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिश के आधार पर मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी अभिकरण के प्रत्यायन के लिए पात्रता मानदंड सहित प्रक्रिया को अवधारित करेगा।

(2) प्रत्यायित कार्बन सत्यापन अभिकरण समय-समय पर ब्यूरो द्वारा यथा अवधारित इस योजना के प्रयोजनों के लिए कार्य करेगी।

10. कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों का व्यापार - (1) आयोग समय-समय पर पावर एक्सचेंजों को रजिस्ट्रीकृत करेगा और भारतीय कार्बन बाजार में कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र व्यापार को मंजूरी देगा;

(2) पावर एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज में प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए अपने संबंधित उपनियमों और नियमों के लिए आयोग का अनुमोदन मांगेगा।

(3) पावर एक्सचेंज आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के संबंध में कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

11. अनुपालन तंत्र- (1) अनुपालन तंत्र के अधीन कवर किए जाने वाले क्षेत्रों और बाध्यकारी इकाईयों का विनिश्चय विद्युत मंत्रालय द्वारा ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा;

(2) ब्यूरो उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और उनके कार्यान्वियन की संभावित लागत सहित सभी सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समतुल्य उत्पाद की प्रति इकाई टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (टीसीओ2ई) के निबंधनों के अनुसार लक्ष्यों की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त उप-पैरा (1) में यथा विनिश्चित क्षेत्रों या बाध्यकारी संस्थाओं के लिए अध्ययन करेगा;

(3) विद्युत मंत्रालय, भारतीय कार्बन बाजार के लिए ब्यूरो और राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिशों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों की अधिसूचना की सिफारिश करेगा;

(4) ऐसे लक्ष्यों, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये जाए, के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों की उत्सर्जन तीव्रता प्राप्त करने के लिए बाध्यकारी इकाईयां अपेक्षित होंगी;

(5) समय-समय पर संशोधित अधिनियम के अधीन विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित गैर-जीवाश्म ऊर्जा उपभोग या विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग के उपयोग जैसे किसी भी अन्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी इकाईयां अपेक्षित होंगी;

(6) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिश के आधार पर, ऐसी बाध्यकारी संस्थाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने में उनकी उपलब्धि के लिए बाध्यकारी संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे;

(7) जिन बाध्यकारी संस्थाओं ने ग्रीनहाउस गैसों में अपनी लक्षित कमी को प्राप्त नहीं किया, वे भारतीय कार्बन बाजार से कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र खरीदकर कमी को पूरा करेंगी;

12. विस्तृत प्रक्रिया- (1) भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति और अन्य प्राधिकरण इस योजना के अनुसार भारतीय कार्बन बाजार के संचालन के लिए विस्तृत प्रक्रिया विकसित करेंगे।

(2) विस्तृत प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: -

(i) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मानदंड;

(ii) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की वैधता;

(iii) कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र की न्यूनतम और स्थगन मूल्य;

(iv) प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता, प्रारूप और समयसीमा;

(v) निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन; और

(vi) कोई अन्य संबंधित और अनुषंगिक मामले।

13. निदेश जारी करने का अधिकार- ब्यूरो, समय-समय पर, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से रजिस्ट्रीकृत इकाईयों को ऐसे निदेश और आदेश जारी कर सकता है, जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त समझें जाए।

[फा. सं. 21/6 /2022- ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2023

S.O. 2825(E).—In exercise of the powers conferred by clause (w) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) the Central Government, in consultation with the Bureau, hereby specifies the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Scheme may be called the Carbon Credit Trading Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) **"accredited carbon verification agency"** means an agency accredited by the Bureau to carry out verification activities under the carbon credit trading scheme;

(c) **"carbon credit"** means a value assigned to a reduction or removal or avoidance of greenhouse gas emissions achieved and is equivalent to one ton of carbon dioxide equivalent (tCO_2e);

(d) **"carbon credit certificate"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (da) of section 2 of the Act;

(e) **"carbon credit trading scheme"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (db) of section 2 of the Act;

(f) **"Commission"** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(g) **"compliance mechanism"** means a mechanism under this Scheme where the obligated entities shall comply with the greenhouse gas emission norms as may be notified by the Central Government;

(h) **"greenhouse gases"** means those gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and re-emit infrared radiation and the expression greenhouse gases include, but not limited to, carbon dioxide (CO_2), methane (CH_4), nitrous oxide (N_2O), hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), and sulfur hexafluoride (SF_6);

(i) **"Indian carbon market framework"** means a national framework established with an objective to reduce or remove or avoid the greenhouse gases emissions from the Indian economy by pricing the greenhouse gases emission through trading of the carbon credit certificates;

(j) **"meta-registry"** means the national greenhouse gas registry that will serve the following purposes, namely: -

(i) data management including Market Based Mechanisms and National Inventory Management Systems; and

(ii) transaction with features of establishing the linkages with any national or international registry of any market-based mechanism;

(k) **"non-obligated entities"** means 'registered entities' that can purchase the carbon credit certificates on voluntary basis;

(l) **"obligated entities"** means 'registered entities' that are notified under the compliance mechanism;

(m) **"power exchange"** means an electronic trading platform as defined under sub-clause (as) of clause (1) of regulation 2 of the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021 published in the Gazette of India vide L-1/257/2020/CERC dated 15th February, 2021;

(n) **"registered entity"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (qa) of the section 2 of the Act;

(o) **"Registry"** means the agency designated as such to perform such functions as defined in this framework in respect of carbon credit trading scheme;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) and the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. National Steering Committee for Indian Carbon Market. -(1) The Central Government shall constitute the National Steering Committee for Indian carbon market.

(2) The governance of the Indian carbon market and direct oversight of its functioning shall vest in the National Steering Committee for Indian carbon market.

(3) The National Steering Committee for Indian carbon market shall consist of the following members, namely: -

(a) Secretary, Ministry of Power- *ex-officio*-Chairperson;

(b) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – *ex-officio* Co-chairperson;

(c) Joint Secretary to the Government of India or above from the Ministry of Finance – *ex-officio Member;*

(d) Joint Secretary to the Government of India or above from Niti Aayog – *ex-officio Member*;

(e) Joint Secretary to the Government of India or above from the Ministry of Power – *ex-officio Member;*

(f) Joint Secretary to the Government of India or above from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change- *ex-officio Member*;

(g) Joint Secretary to the Government of India or above from the Ministry of New and Renewable Energy – *ex-officio Member;*

(h) Joint Secretary to the Government of India or above from the Ministry of Steel – *ex-officio Member;*

(i) Joint Secretary to the Government of India or above from the Ministry of Coal – *ex-officio Member;*

(j) Joint Secretary to the Government of India or above from the Ministry of Chemicals and Fertilizers – *ex-officio Member;*

(k) Joint Secretary to the Government of India or above from the Ministry of Petroleum and Natural Gas – *ex-officio Member;*

(l) Joint Secretary to the Government of India or above from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare – *ex-officio Member;*

(m) two Members – Principal Secretary from the Department of Environment of respective State Government representing the States as nominated by the Central Government– *ex-officio– Members;*

(n) two expert Members – coopted by the National Steering Committee who have knowledge in the areas of emissions, carbon trading, climate change, environment and energy – *Members;*

(o) Chairperson, the Central Electricity Authority – Member;

(p) Chairman and Managing Director, the Grid Controller of India Limited –Member;

(q) any other Members not exceeding three as coopted by the National Steering Committee for Indian carbon market– Member;

(r) the Director General, Bureau of Energy Efficiency – Member - Secretary;

4. Functions of National Steering Committee. -(1) The National Steering Committee shall discharge following functions, namely: -

(a) Recommend to Bureau for the formulation and finalisation of procedures for institutionalizing the Indian carbon market;

(b) recommend to Bureau for the formulation and finalisation of the rules and regulations for the functions of Indian carbon market;

(c) recommend to Bureau for the formulation of specific greenhouse gases emission targets for the obligated entities;

(d) recommend to Bureau for the formulation and finalisation of guidelines regarding trading of carbon credit certificates outside India;

(e) recommend to Bureau to issue carbon credit certificate;

(f) recommend to Bureau for the development of the process or conditions for crediting period or renewal or expiry of carbon credit certificate;

(g) to monitor the functions of Indian carbon market;

(h) recommend to Bureau to constitute any Committee or Working group as required in connection with Indian carbon market; and

(i) any other functions assigned to it by the Central Government.

(2) The Chairperson shall call the meeting at least once in a quarter of every year.

5. Bureau as administrator and its functions. -(1) The Bureau shall be the Administrator for the Indian carbon market.

(2) As the administrator, the Bureau shall discharge the following functions, namely: -

(a) to identify sectors and potential for reduction of greenhouse gases emissions in such sectors and recommend to the Ministry of Power to include such sectors in Indian carbon market;

(b) to develop trajectory and targets for the entities under compliance mechanism;

(c) to issue the carbon credits certificate based on the recommendation of the National Steering Committee for Indian carbon market and subsequent approval of the Central Government;

(d) to develop market stability mechanism for carbon credits;

(e) to develop the procedure for accreditation and functions of accredited carbon verification agency;

(f) to accredit the agencies in accordance with the approved procedure for accredited carbon verification agency;

(g) to determine, the fees and charges payable by the registered entities with the approval of Central Government, for the purposes of meeting the cost and expense towards the implementation of this Scheme;

(h) to develop the process or conditions for crediting period or renewal or expiry of carbon credit certificates;

(i) to develop data submission formats, forms for effective functioning of Indian carbon market;

(j) to undertake capacity building activities for the stakeholders;

(k) to develop and maintain the information technology infrastructure including the user guidance platform required for Indian carbon market;

(l) to maintain secure database with all security protocols as approved by the Central Government;

(m) to constitute any Committee or working group as recommended by the National Steering Committee for Indian carbon market; and

(n) any other functions assigned to it by the Central Government.

6. Registry and its Functions. -(1) The Grid Controller of India Limited shall be the registry for the Indian carbon market.

(2) The Registry shall discharge the following functions, in the manner, as may be determined by the Central Government from time to time: -

(a) to comply with the directions issued by the Bureau from time to time;

(b) to undertake registration of obligated or non-obligated entities;

(c) to maintain secure database with all security protocols;

(d) to maintain records of all transactions;

(e) to share the transaction records with Power Exchange and Bureau;

(f) to assist in development of information technology platform for maintaining database of carbon credit certificates;

(g) to function as meta-registry for India;

(h) to establish linkages with other National or International registries as approved by the Central Government; and

(i) any other functions assigned to it by the Bureau.

7. Commission as Regulator for trading activities under Indian Carbon Market. -(1) The Central Electricity Regulatory Commission shall be the regulator for the trading activities under the Indian Carbon Market.

(2) The Central Electricity Regulatory Commission as a regulator to Indian Carbon Market shall perform the following, namely: -

(a) to regulate matters relating to trading of carbon credit certificates;

(b) to safeguard interest of both sellers and buyers;

(c) to regulate frequency of carbon credit certificates trading; and

(d) to provide market oversight and take necessary preventive and corrective actions to prevent fraud or mistrust.

8. Technical Committee and its Functions. -(1) The Bureau shall constitute, one or more Technical Committees for different areas as required under compliance mechanism for the purposes of this Scheme.

(2) Each Technical Committee shall be chaired by a member who is an expert and shall possess such eligibility and experience in respective sector as may be determined by the Bureau.

(3) Each Technical Committee shall consist of other members as may be required by the Bureau.

(4) Each Technical Committee shall perform functions for the purposes of this Scheme.

(5) The Technical Committee shall make its recommendations to the Bureau, in respect of the matters assigned to it.

9. Accredited Carbon Verification Agency. -(1) The Bureau with prior approval of the Central Government shall determine the procedure including eligibility criteria for accreditation of any agency to function as accredited carbon verification agency based on the recommendation of the National Steering Committee for Indian carbon market.

(2) The Accredited carbon verification agency shall perform functions for the purposes of this Scheme as determined by the Bureau from time to time.

10. **Trading of carbon credit certificates. -** (1) The Commission shall register the power exchanges and approve the carbon credit certificate trading in the Indian carbon market, from time to time;

(2) The power exchange shall seek approval of the Commission for their respective bylaws and rules for trading of certificates in the power exchange.

(3) The power exchanges shall perform functions regarding trading of carbon credit certificates, in accordance with the regulations notified by the Commission.

11. **Compliance Mechanism. -**(1) The sectors and the obligated entities to be covered under the compliance mechanism shall be decided by the Ministry of Power based on recommendations of the Bureau;

(2) The Bureau shall undertake studies for the sectors or obligated entities as decided in sub-paragraph (1) for recommending the targets in terms of ton of carbon dioxide equivalent (tCO_2e) per unit of equivalent product after taking into account all relevant aspects including available technologies and likely cost of their implementation;

(3) The Ministry of Power, after duly considering the recommendations of Bureau and National Steering Committee for Indian carbon market, shall recommend the notification of greenhouse gases emission intensity targets to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for notification under the Environment Protection Act, 1986;

(4) The obligated entities shall be required to achieve greenhouse gases emission intensity in accordance with the targets as may be notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

(5) The obligated entities shall also be required to meet any other targets such as use of non-fossil energy consumption or specific energy consumption as may be notified by the Ministry of Power under the Act as amended from time to time;

(6) The obligated entities shall be issued carbon credit certificates for their achievement in reducing the greenhouse gases emission intensity exceeding the target set for such obligated entities, based on the recommendation of National Steering Committee for Indian carbon market;

(7) The obligated entities who did not achieve their targeted reduction in greenhouse gases emission intensity shall meet shortfall by purchasing carbon credits certificates from Indian carbon market;

12. **Detailed procedure. -**(1)The National Steering Committee for Indian carbon market and other authorities shall develop the detailed procedure for operationalising the Indian carbon market, in accordance with this Scheme.

(2) The detailed procedure shall contain the following, namely: -

(i) criteria for issuance of carbon credit certificates;

(ii) validity of carbon credit certificates;

(iii) floor and forbearance price of carbon credit certificates;

(iv) requirement, format and timeline for submissions;

(v) monitoring, reporting and verification; and

(vi) any other related and incidental matters.

13. **Power to issue directions. -**The Bureau may, from time to time, issue such directions and orders to the registered entities, with the approval of the Central Government, as considered appropriate for the implementation of this Scheme.

[F. No. 21/6/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA